न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 30/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. जसमीन कौर पत्नी यादविन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. अमनप्रीत कौर पत्नी लाल जी पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) –**वादीगण**

बनाम्

1. कुलदीप सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति जट सिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. यादविन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. लाल जी पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। –**प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–1. श्री नरेश मण्डा –वकील वादीगण
2. श्री संजय धारणिया –वकील प्रति 1 ता 3

निर्णय **दिनांक :–** 04-04-2024

वादीगण जसमीन कौर वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 07–02–2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद के शीर्षक में अंकित है कि चक 1 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 138/21 वादीगण के ससूर के नाम से 4.554 है. व वादी सं.1 व वादी सं.2 के पतियों के नाम से चक 1 एन.ओ.डब्ल्यु. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 50/18 में 2.656 है. नहरी कृषि भूमि 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबंदीयां संलग्न वाद पत्र है। कि वाद–पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने घरू तौर पर भूमि का विभाजन अर्सा पूर्व कर लिया था, बटवारा में उक्त कृषि भूमि वादीगण के हिस्सा में आ गई, लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 नाम से दर्ज रही है जबकि वादीगण उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर निर्विवाद रूप काश्त करती चली आ रही है लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। वादीगण को [illegible] सम्वत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 138/21 वादीगण के ससूर के [illegible] है. ब.हि.ब. कृषि भूमि घरेलू बटवारा में हिस्सा में आई हुई है [illegible] अनुसार हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है कि वादीगण चक 1 [illegible] जमाबंदी सम्वत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:00 IST
Reason: SelfAttested

...से 4.554 है, ब.हि. ब. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. ... का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है कि वादीगण मौका पर वाद–पत्र ... चरण सं. 4 के अनुसार ब.हि.ब. ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई ... नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा घोषित न होने के कारण वादीगण के खातेदारी ...अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा ... मे कठिनाईया आती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से कई दफा कहा की आप ...विवाद ग्रस्त आराजी का वादीगण को दावा की चरण सं. 4 के अनुसार कृषि भूमि की ...विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादी सं. 1 पहले तो टाल मटौल करती रही लेकिन अंत में ...पिछले सप्ताह प्रतिवादी सं. 1. वादीगण की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गयी ...यही वाद कारण है कि प्रतिवादी सं. 4 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है कि वाद कृषि भूमि के विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है लिहाजा वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे (क) कि चक 1 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 138/21 वादीगण के ससूर के नाम से 4.554है. ब.हि.ब. की दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी स 1 ने हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स 2 व 3 ने सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण काई साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इसलिए साक्ष्य वादीगण एव साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण को चक 1 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 138/21 वादीगण के ससूर के नाम से 4.554है. ब.हि.ब. की दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। वकीलप प्रतिवादीगण ने वकील वादीगण का विरोध नही करते हूए मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी स 1 राजीनामा व प्रतिवादी स 2 व 3 के सहमती के जवाब दावा वाद पत्र को डिकी करने हेतू निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आराजी के सह–काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है व प्रतिवादी स 2 व 3 ने सहमती के जवाब दावा प्रस्तुत किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद [illegible] कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद पत्र क[illegible] ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश ह[illegible] मुताबिक राजीनामा व सहमती के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना [illegible] प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण राजीनामा व सहमती के जवाब दावा के विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादीगण को चक 1 बी.जी.पी. जमावंदी सम्वत 2072–2075 जमावन्दी 2078 के खाता सं. 138/21 वादीगण के ससूर के नाम से 4.554है. ब.हि.व. की दर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04-04-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईवादाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 30/2024
वाद पत्र अंधारा :– 88 आरटीए

1. जसमीन कौर पत्नी यादविन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. अमनप्रीत कौर पत्नी लाल जी पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) –वादीगण

बनाम्

1. कुलदीप सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति जट सिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. यादविन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. लाल जी पुत्र कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। –प्रतिवादीगण

दिनांक :– 04-04-2024

यह राजस्व मुकदमा आजमुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री राजय धारणिया वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण को चक 1 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 138/21 वादीगण के ससूर के नाम से 4.554है. व.हि.व. की दर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे
नोट:– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।
निज......X......नल..........X....मुव्लिक......X.....निल..........X..........बाबत......X...निल.......X.. खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ...X....अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04-04-2024 जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:32:00 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया